

वादी की ओर से श्री राजीव कुल श्रेष्ठ व कल्पना बेनीवाल प्रतिवादीगण और से श्री राजवीर सिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 30.12.20 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर राजीनामा अनुसार वाद वादी डिक्री करते हुए खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए एवं खाता तकसीम किया जाता है कि -

- (क.) वादी को प्राप्त कृषि भूमि चक नम्बर 8 एसएसडब्ल्यू पत्थर नम्बर 150/289 मुं.नं. 77 किं.नं. 4, 3/.176 की .429 हैक. तथा चक 10 एसएसडब्ल्यू ए के पं.नं. 146/290 मुं.नं. 28 पं. नं. 5 व 6 की .506 हैक. कुल .935 हैक.
- (ख.) कि प्रतिवादी संख्या 3 अग्नेज सिंह को प्राप्त कृषि भूमि - चक 10 एसएसडब्ल्यू ए पं.नं. 147/290 मुं.नं. 27 किला नम्बर 21 की .253
- (ग.) कि प्रतिवादी संख्या 4 मनप्रीत सिंह को प्राप्त कृषि भूमि - चक नम्बर 8 एसएसडब्ल्यू पं. नं. 150/289 मुं.नं. 77 किला नम्बर 1/.190, 2/.190 की .457 हैक. तथा चक 10 एसएसडब्ल्यू ए 147/290 मुं.नं. 27 किं.नं. 4/.126, 16, 25 की .632 हैक. कुल 1.089 हैक.
- (घ.) प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 9 को प्राप्त कृषि भूमि - चक 8 एसएसडब्ल्यू पं. नं. 150/289 मुं.नं. 77 किं.नं. 1/.063, 2/.63, 9/.171, 10/.164 की .461 हैक. चक 10 एसएसडब्ल्यू ए पं.नं. 147/290 मुं.नं. 27 किं.नं. 4/.127, 17 व 24 की .633 हैक. की कुल 1.094 हैक.

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/विरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 30.12.20 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

(कपिल यादव)

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

Web Copy - Not Official

मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि

रोडर

उपखण्ड अधिकारी

हनुमानगढ़